

अधिगम और शिक्षा

इकाई 2 संज्ञान से सामाजिक-सांस्कृतिक विभेद

रूपरेखा:—

- 1.1 प्रस्तावना
 - 1.1.1 व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ एवं स्वरूप
- 1.2 उद्देश्य
- 1.3 सीखने से सम्बंधित समस्या को समझना
- 1.4 विभिन्नताओं के प्रकार
 - 1.4.1 सामाजिक विभिन्नता
 - 1.4.2 सांस्कृतिक विभिन्नता
- 1.5 अधिगम निर्योग्य बालक
 - 1.5.1 ऐतिहासिक परिचय
 - 1.5.2 परिभाषा एवं मूलधारणा
 - 1.5.3 अधिगम निर्योग्यता अध्ययन की समस्याएँ
 - 1.5.4 अधिगम सम्बंधी विकलांगता के प्रकार
 - 1.5.5 अधिगम की दृष्टी से अशक्त बच्चों की पहचान के लिए लक्षण सूची
 - 1.5.6 अधिगम निर्योग्यता का उपचार
- 1.6 विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की योजना (संशोधित 1987)
- 1.7 इकाई सारांश
- 1.8 अपनी प्रगति की जाँच
- 1.9 संदर्भ सूची

1.1 प्रस्तावना

“हमारे विद्यालयों में छात्र व्यापक रूप से क्षमताओं और अभिरूचियों में भिन्न होते हैं, फिर भी हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे सभी समान हैं” — सी.ई. स्कनर

1.1.1 व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ एवं स्वरूप

प्रकृति का नियम है कि सम्पूर्ण संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतया एक जैसे नहीं हो सकते। उनमें कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होगी यहाँ तक कि जुड़वाँ बच्चे शक्ल सूरत से तो हू-ब-हू एक दिख सकते हैं लेकिन उनके स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक, मानसिक, तथा संवेगात्मक विकास में पर्याप्त भिन्नता होती है। यह भिन्नता मनुष्य में ही नहीं बल्कि जानवरों तक में पाई जाती है। यह भिन्नताएँ कई प्रकार की हो सकती हैं। रंग रूप आकार बुद्धि आदि अनेक बातें भिन्नता को स्पष्ट करने में सहायक हैं। प्राचीन काल से ही बालक की आयु व बुद्धि के अनुसार उसे शिक्षा दी जाती है। जब वह छोटा होता है उसे सरल बातें सिखाई जाती हैं जैसे-जैसे वह बड़ा होता जाता है उसे कठिन बातें सिखाई जाती हैं वर्तमान युग में विभिन्नताओं का बहुत महत्व है, इस प्रत्यय का सबसे पहले प्रयोग फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक गाल्टन महोदय ने किया।

1.2 उद्देश्य :-

इस ईकाई के अध्ययन के पश्चात आप—

1. व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अर्थ के बारे में जान सकेंगे।
2. व्यक्तिगत विभिन्नताओं के स्वरूप को जानेंगे।
3. सीखने से सम्बंधित समस्या को समझ सकेंगे।
4. व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार के बारे में जान सकेंगे।
5. समाजिक व सांस्कृतिक विभिन्नता के बारे में जान सकेंगे
6. अधिगम निर्योग्य बालक के बारे में जान सकेंगे।
7. अधिगम सम्बंधी विकलांगता के प्रकारों को जान सकेंगे
8. विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा की योजनाओं को समझ सकेंगे।

1.3 सीखने से सम्बंधित समस्या को समझना

सीखने की प्रक्रिया को निबद्ध करने वाले कुछ अन्य ऐसे तत्व होते हैं जो इस प्रक्रिया गति को धीमी कर देते हैं। यह तत्व अधिकतर शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य और वातावरणीय दशाओं में निहित रहते हैं। एक अध्यापक को इसके सम्बंध में जानकारी होनी चाहिए ताकि वह उनके प्रभाव को दूर करके अच्छा शिक्षण प्रदान कर सके। सीखने की गति को धीमा कर देने में थकान व दुश्चिन्ता महत्वपूर्ण है इन तत्वों के अतिरिक्त कुछ अन्य तत्व जैसे दिन का समय, तापमान, नशीली औषधि इत्यादि भी सीखने की प्रक्रिया को प्रमाणित करते हैं। इन तत्वों का यदि ठीक ढंग से प्रयोग न करे तो वह भी सीखने की गति में कमी ला सकते हैं किन्तु यदि इनके प्रभावों को समझा कर सीखने की गति में इनकी सहायता प्राप्त की जाए तो यह सीखने में सहायक तत्व बन जाते हैं।

आदत बन जाना सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। आदत बन जाती है तो यह एक अभिप्रेरक की तरह कार्य करती है यह अभिप्रेरक दोनों प्रकार से सक्रिय हो सकता है।

❖ सीखने को गति देने वाला

❖ सीखने की गति धीमी करने वाला

1.4 विभिन्नताओं के प्रकार

हम यहाँ पर उन मुख्य क्षेत्रों का जिनमें व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, उल्लेख करेंगे।

- बुद्धिस्तर पर आधारित विभिन्नता
- शारीरिक विकास में विभिन्नता
- उपलब्धि में विभिन्नता
- अमिवृत्ति में विभिन्नता
- व्यक्तित्व विभिन्नता
- गत्यात्मक योग्यताओं में विभिन्नता
- लिंग— विभिन्नता के कारण भेद
- जाति या राष्ट्र सम्बंधी विभिन्नता
- सामाजिक विभिन्नता
- संवेगात्मक विभिन्नता
- विशिष्ट योग्यताओं में विभिन्नता
- सांस्कृतिक विभिन्नता

1.4.1 सामाजिक विभिन्नता— व्यक्तियों में स्पष्ट रूप से सामाजिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। यह विभिन्नता जब बालक एक ही वर्ष का होता है तभी से दृष्टीगोचर होने लगती है। कुछ बालक इतने भीरु (डरपोक) होते हैं, कि जैसे ही दूसरे परिवार का सदस्य आता है। वे अपना मुँह छुपा लेते हैं परन्तु दूसरे प्रकार के बालक उसकी ओर बिना झिझक के बढ़ जाते हैं।

व्यक्तिगत बालक में चहरे के भाव को समझने की योग्यता होती है। बालक पढ़ने में भी विभिन्नता प्रकट करते हैं। उनकी लड़ाईयाँ मौखिक गाली गलौज से लेकर मारपीट, नोंच-खसोट, काटना आदि तक होती हैं। बालको में अपने मित्र बनाने के सम्बंध में भी विभिन्नता पाई जाती है।

मैरडिथ के अध्ययन के आधार पर केवल यही कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊँचे होते हैं। बहुत से शारीरिक दोष जैसे— टेढ़े मेढ़े दाँत, लँगडाना, क्षय रोग इत्यादि निम्न आय वाले परिवारों के बालको में अधिक पाये जाते हैं।

अच्छे, परिवारों के बालक न केवल स्वास्थ्य में ही श्रेष्ठता लिए होते हैं वरन बुद्धि एवं ज्ञानोपार्जन में भी उत्तम होते हैं।

टरमैन एवं मैरिल जो बालक उच्च व्यवसाय वाले माता पिता की सन्तान होते हैं, उनकी बुद्धि-लब्धि 10 से 15 साल के बीच 118 होती है, जबकि क्लर्की पेशे वाले समूह के बालकों की बुद्धि-लब्धि 107 होती है और मजदूरों के बालकों की केवल 97।

यद्यपि आर्थिक-सामाजिक स्तर तथा बुद्धि-लब्धि का सम्बंध तो है, निम्न स्तर के आर्थिक एवं सामाजिक समूह में अनेक उच्च बुद्धि-लब्धि के बालक पाये जाते हैं और उच्च स्तर के आर्थिक एवं सामाजिक समूह में निम्न बुद्धि-लब्धि वाले बालक पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त क्योंकि साधारण आर्थिक सामाजिक समूह में व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है, इसलिए संख्या के आधार पर उच्च बुद्धि के बालकों की संख्या इस समूह में अधिक होगी।

विभिन्नता के कारण

➤ वंशानुक्रम

- वातावरण
- जाति, प्रजाति एवं देश
- आयु एवं बुद्धि
- परिपक्वता
- लिंग भेद

1.4.2 सांस्कृतिक विभिन्नता— सांस्कृतिक मूल्य भी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे छोटे-छोटे उद्योगों के मालिक (धोबी, कुम्हार, बढ़ई आदि) अपने बच्चों की शिक्षा के महत्व को न समझते हुए वे उनकी शिक्षा के लिए गम्भीर नहीं होते। माता पिता की इस अरुचि के परिणामस्वरूप बालक को स्कूल के जीवन में किसी प्रकार का कोई आकर्षण दिखाई नहीं देता। वह बालक स्कूल तथा कक्षा से भागने के प्रयास में रहता है। यही प्रवृत्ति उसे शिक्षा के क्षेत्र में बाधित होती है।

अभ्यास क्रियाएँ

अपनी स्कूल के दो विद्यार्थी पर व्यक्तिगत विभिन्नता के विभिन्न कारणों का पता लगाए व तुलना कीजिए?

1.5 अधिगम निर्योग्य बालक

1.5.1 ऐतिहासिक परिचय— इस विशिष्ट क्षेत्र का सर्वप्रथम उपयोग सेमुअल कर्क(1962) ने किया था। सेमुअल कर्क द्वारा उपयोग के पहले जिन तथ्यों को आधार मानकर नामकरण पर बल था वे थे।—

- न्यूनतम मस्तिष्क क्षतिग्रस्तता (औषधि विज्ञान)
- मनोस्नायुविक विकलांगता (मनोवैज्ञानिक)
- अति क्रियाशीलता
- प्रात्यक्षिक विकलांगता (मनोगतिक अध्ययन क्षेत्र)
- शैक्षणिक न्यूनता (शिक्षा विज्ञान)

- न्यूनतम उपलब्धता (शिक्षा मनोविज्ञान)

1.5.2 **परिभाषा एवं मूलधारणा**— अधिगम निर्योग्यता को परिभाषित करने में जिन कारणों से समस्या आयी वे कुछ निम्नांकित हैं।

मूल्यांकन की समस्या— ये समस्याएँ मूलतः तीन कारणों से हैं—

- नैदानिक उपागमों एवं सामग्रियों में विभिन्नता
- परीक्षण हेतु उपयोग में लाये गये परीक्षणों की विश्वसनीयता एवं वैधता में संदिग्धता
- विभिन्न चरणों में अध्ययनकर्ताओं में अनेकानेक पक्षपातता।

संख्यात्मक मापदण्ड में विरोधाभाषिता — अध्ययनकर्ताओं ने इन्हें चार श्रेणियों में बाँटा —

- प्रत्याशा गणना सूत्र
- अध्ययन स्तर से विचलनशीलता
- प्रमाणिक प्राप्तांकों की तुलना
- प्रसरण विश्लेषण गणना

प्रक्रिया समस्या— अध्ययनकर्ता कभी — कभी यह मान लेते हैं कि अमुक कारण अधिगम निर्योग्यता के लिए उत्तरदायी है परन्तु वास्तव में अध्ययन में जब उन कारणों का प्रभाव नगण्य पाते हैं तो यह मान लेते हैं कि अमुक दशा अनावश्यक है और अनुमानित दशा जो परिभाषा के लिए आवश्यक है, अर्थहीन है इसलिए इसे अस्वीकृत करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है।

उद्देश्यात्मक समस्या — अधिगम निर्योग्यता को परिभाषित करने में अलग-अलग क्षेत्रों में अध्ययनरत विशिष्ट शोधकर्ताओं के उद्देश्यों में अन्तर के कारण भी समस्या आ जाती है जैसे—

- शिक्षा का उद्देश्य
- अनुसन्धानकर्ता का उद्देश्य
- परामर्शदाता का उद्देश्य

उपर्युक्त सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रमुख अध्ययनकर्ताओं शोधकर्ताओं ने अधिगम निर्योग्यता की समुचित परिभाषा देने का प्रयास किया परिभाषा के तकनीकी पक्ष को स्पष्ट करते हुए अधिगम निर्योग्य के मूलतः 3 लक्षण बताये हैं—

- मानसिक योग्यता आंशिक होनी चाहिए।
- मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में स्पष्ट अन्तर होना चाहिए।
- कोई अन्य दशाएँ जैसे— शारीरिक, पारिवारिक एवं वातावरणीय दशाएँ प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए

1.5.3 अधिगम निर्योग्यता अध्ययन की समस्याएँ—

अध्ययन समस्या को तीन प्रमुख वर्गों में बाँटा गया है।

असमरूपता अवधारणा — असमरूपता धारणा में मूलरूप से दो समस्याएँ आती हैं।

1. ज्ञात तथ्यों के आधार पर अधिगम निर्योग्यता प्रतिदर्श को समग्र से अलग करना।
2. कुछ प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर अन्य प्रतिदर्श को छोड़ना।

- **वर्गीकरण की समस्या** — यह समस्या कभी— कभी उस समय भीषण हो जाती है, जब अधिगम निर्योग्य और सामान्य अधिगमीय छात्र में कुछ विशिष्ट लक्षणों में अन्तर परिलक्षित नहीं होता है।

- **उद्देश्यात्मक समस्या**— अध्ययनकर्ता के उद्देश्यानुसार उनमें अन्तर अवश्य दिखाई देते हैं यह अन्तर समस्या के सार्वभौमिक अध्ययन परिक्षेत्र को सीमित कर देता है। इसलिए इस परिक्षेत्र को विस्तृत करने के लिए सैद्धांतिक आधार का सहारा लिया गया है। इससे जहाँ पारदर्शिता आई वहीं अनेक समस्या का जन्म हुआ और इन समस्याओं का तब तक सामाधान नहीं किया जा सकता जब तक देश की बाकी पृष्ठभूमि को स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती।

1.5.4 अधिगम सम्बंधी विकलांगता के प्रकार — बौद्धिक रूप से इस वर्ग के बच्चे अन्य बच्चों के समान होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का मानसिक पिछड़ापन नहीं होता, न ही दृष्टी दोष, श्रवण दोष होता है। परन्तु उन्हें पढ़ने लिखने, बर्तनी की शुद्धता तथा गणित के प्रश्न हल करने आदि में कठनाई आती है यह मनोवैज्ञानिक कारणों का परिणाम हैं। इनके दो प्रकार हो सकते हैं।

1. सामान्य अधिगम विकलांगता
2. भयंकर अधिगम विकलांगता

1. सामान्य अधिगम विकलांगता – इन्हें सामान्य स्कूल में पढ़ाया जाता है। यदि शुरू में ही पता लग जाए तो बच्चों की मदद की जा सकती है यह उचित प्रशिक्षण तथा अभ्यास द्वारा किया जा सकता है व ऊँची कक्षाओं में भी एकीकृत किया जा सकता है।

2. अधिगम सम्बन्धी भयंकर अपंगता– इस कोटि में उन बच्चों की गिनती की जाती है जिनको आधारभूत कौशल जैसे पढ़ना–लिखना आदि में कठनाई आती है। इन बच्चों को स्कूलों में एकीकृत करने में कठिनाई आती है। इनकी व्यवहार सम्बन्धी विशेषताएँ अलग अलग होती हैं। ये निम्न हैं–

- पढ़ने की असमर्थता
- लेखन की अशक्तता
- सम्प्रेषण को समझने की समस्या
- संख्या विषयक आयोग्यता
- पढ़ने की असमर्थता– यह पढ़ने में असमर्थ होते हैं यह दो रूप में देखे जा सकते हैं

1. सामान्य प्रभाव वाले– उनको पढ़ने में दिक्कत होती है।

2. भयंकर प्रभाव वाले– यह पढ़ने लिखने में अशक्त होते हैं इन्हें शब्द अंधता के नाम से पुकारा जाता है। आरंभिक अवस्था में पहचान हो जाने पर आवश्यक उपचार किया जा सकता है

- लेखन की अशक्तता – इस अशक्तता के दो रूप होते हैं।

1. सामान्य 2. भयंकर

जिन बच्चों में सामान्य समस्या होती है उन्हें साफ–साफ लिखने की कला सीखने में कठनाई होती है। पहचान शुरू में की जाए तो इनकी मदद की जा सकती है। जिन बच्चों में यह समस्या गंभीर होती है यह किसी की नकल बिना रूप बिगाड़े कर लेते हैं।

परन्तु स्वतः लिखने में असमर्थ होते हैं।

- सम्प्रेषण को समझने की समस्या – इस प्रकार से विकार ग्रस्त बच्चे लेखन, बोलने, तथा पढ़ने में दिक्कतों का सामना करते हैं यहाँ तक बच्चे संकेत तथा हावभाव भी नहीं समझ पाता है समय रहते पहचान होने पर ये बच्चे सामान्य बच्चों के साथ समेकित किया

जा सकता है। जिन में यह गंभीर रूप से धारण कर चुका है उन्हें कोई भाषा समझ में ही नहीं आती।

- संख्या विषयक आयोग्यता— जो बच्चे इस रोग से ग्रसित होते हैं। उन्हें अंको का हिसाब लगाने में कठनाई होती है। अंक चिन्हों को समझने में भी कठनाई होती है। यह दो प्रकार का होता है। साधारण तथा असाधारण।

1.5.5 अधिगम की दृष्टि से अशक्त बच्चों की पहचान के लिए लक्षण सूची

- ❖ अपना काम संगठित करने में कठिनाई महसूस करते व कक्षा का कार्य देर से करके देते।
- ❖ जवाब देने में सुस्त व धीमे
- ❖ समय बताने में, दिन महिने तथा वस्तुओं के नामों का उल्लेख करने में, गणित की सारणी आदि में कठिनाई।
- ❖ कक्षा व घर में दी जाने वाली हिदायतों को न सुनना
- ❖ मौखित हिदायतें याद रखने में कठिनाई
- ❖ कक्षा में निष्पादन में बहुत ज्यादा असंगति
- ❖ थोड़े से व्यवधान से ध्यान भंग
- ❖ दौए व बाएँ में भ्रम
- ❖ अधिक उत्तेजित
- ❖ एक ही पंक्ति को दुहराना
- ❖ उच्चारण में दिक्कत
- ❖ शब्दों को विपरीत क्रम में पढ़ने जैसे— कल को लक
- ❖ वर्णों को गलत क्रम में रखना
- ❖ एक जैसे दिखने वाले शब्दों को गलत पढ़ना।
- ❖ याद करने में दिक्कत
- ❖ अंको को गलत पढ़ना
- ❖ 6 को 9 की तरह बनाना
- ❖ उच्चारण करने पर सही अक्षर नहीं लिख पाना

❖ अकादमिक विषयों में दिक्कत

1.5.6 अधिगम निर्योग्यता का उपचार

अधिगम निर्योग्यता के उपचार हेतु निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है

- व्यावहारिक निर्देशन विधि
- संज्ञानात्मक व्यवहार परिमार्जन
- कम्प्यूटर निर्देशन विधि

1. **व्यावहारिक निर्देशन विधि** – इस विधि का उपयोग शैक्षिक वातावरण के साथ विद्यालयों में दिशा निर्देश स्टेफेन्स (1970) द्वारा प्रस्तुत किया गया इस विधि के उपयोग के लिए 4 चरणों का पालन आवश्यक है—

1. उस व्यवहार को लक्ष्य बनाना जिसका परिमार्जन किया जाना हो ।
2. लक्ष्य केन्द्रित व्यवहार का प्रत्यक्ष और बार—बार मापन करना
3. संस्था से उन दशाओं को न्यून करने अथवा समाप्त करने का आग्रह करना जो उनके वास्तविक व्यवहार में बाधक हो ।
4. व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों को बार—बार आकलित कर उनका व्यावहारिक उपयोग करना

2. **संज्ञानात्मक व्यवहार परिमार्जन—** इस विधि पर सर्वाधिक सराहनी कार्य वुटकोवास्की एवं विलांग (1980) पर्ल ब्राइन (1980) डगलस (1981) हालाहन एवं नीडलर (1979) पैरिस एवं मायर्स (1981) द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस विधि द्वारा अध्ययन हेतु निम्न पक्षों पर बल देना आवश्यक है—

1. संवेदनशीलता को न्यून करना
2. लक्ष्योन्मुख व्यवहार पर बल देना
3. गणितीय क्रियाओं के समाधान पर उन्मुखता
4. अध्ययन शैली पर सक्रिय बल
5. लेखन आयामों पर निर्देशन

3. **कम्प्यूटर निर्देशन विधि—** इस विधि का उपयोग कर प्रशिक्षणदाता बच्चों के अन्दर आशावादिता विकसित करते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि बच्चे लक्ष्यों को प्राप्त

करने में रचनात्मक हो जाते हैं, उनमें नई-नई क्षमताओं का विकास स्वतः होने लगता है। कम्प्यूटर का प्रयोग निम्न प्रकार से कर अधिगम निर्योग्यता को न्यून किया जा सकता है।

1. कम्प्यूटर कौशलों का विकास
2. अभ्यास करने की आदत का विकास
3. उद्देश्यानुसार प्रक्रिया उपयोग पर बल

अभ्यास क्रियाएं

अधिगम निर्योग्य बालक में कम्प्यूटर निर्देशन विधि द्वारा अधिकगम निर्योग्यता न्यून करने का प्रयास करें व उनमें आए बदलाव को लिखें।

1.6 विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की योजना(संशोधित 1987)

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसार बच्चों के इस वर्ग की क्रिया को एक समान शैक्षिक अवसरों की व्यवस्था के अंतर्गत कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूलों में धीरे चलने वाले विकलांगों तथा अन्य मध्यम विकलांगों की शिक्षा की सिफारिश करती है नीति का उद्देश्य (1) समान भागीदारों के रूप में आम समाज के साथ विकलांगों को समेकित करना (2) उन्हें सामान्य विकास के लिए तैयार करना (3) उन्हें साहस तथा विश्वास के साथ जीवन का सामना करने के योग्य बनाना।

क्रियान्वयन एजेन्सियाँ— क्रियान्वयन एजेन्सियाँ शिक्षा विभाग होगी राज्य सरकार जैसे भी सम्भव हो स्वैच्छिक संगठनों की सहायता ले सकती है।

क्षेत्र— (1) विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएँ इस प्रकार प्रस्तावित हैं—

- गति विषयक विकलांग (हड्डी विकलांग) वाले बच्चे
- कम व साधारण श्रवण
- आंशिक रूप से दृष्टीहीन बच्चे
- दिमाग से विकलांग

- बहुविधि रूप से विकलांग बच्चे
 - सीखने की असमर्थता वाले बच्चे
 - दृष्टी से क्षतिग्रस्त
 - गम्भीर श्रवण क्षतिग्रस्त
- (2) विकलांग बच्चों के लिए पूर्व स्कूल प्रशिक्षण व माता पिता को परामर्श देना शामिल
 - (3) विकलांग बच्चों की शिक्षा सीनियर सेकेन्डरी स्कूल स्तर तक जारी रहेगी
 - (4) विकलांग बच्चों उसे केन्द्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति मिल सकती है।

क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया

- (1) क्रियान्वयन एजेन्सी के द्वारा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने, अनुश्रवण करने तथा मूल्यांकन करने के लिए उप-निर्देशक के पद वाले एक अधिकारी के अन्तर्गत एक प्रशासनिक सेल स्थापित करना चाहिए।
- (2) विकासशील खण्डों का चयन किया जाना चाहिए।
- (3) विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत विकलांग बच्चों का सर्वेक्षण चुनिन्द क्षेत्रों में आरम्भ किया जाएगा।
- (4) राज्य स्तरीय खेल उपकरण, अध्ययन सामग्रियों स्टाफ के प्रशिक्षक आदि की व्यवस्था के जरिए विकलांग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए संस्थाओं के लिए सुविधाओं की योजना बनाना।

प्रशासनिक सेल

राज्य शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रशासनिक सेल के पास एक उप-निर्देशक राज्य सरकार के दिए जाने वाले वेतनमान के अनुसार एक समन्वयक (जो एक मनोविज्ञानी होगा) उस वेतनमान में जो एक विश्वविद्यालय के प्रवक्ता को दिया जाता है, राज्य/संघ शासित क्षेत्र में लागू वेतनमानों में एक आशुलिपिक तथा अन्तरश्रेणी लिपिक होगा।

विकलांग बच्चों का मूल्यांकन

- (1) मूल्यांकन करने के लिए तीन सदस्यों से युक्त एक दल का गठन किया जाएगा। जिसमें एक डाक्टर एक मनोवैज्ञानिक व विशेष शिक्षक होगा।

- (2) बड़ी मात्रा में उन बच्चों की जाँच करना अनिवार्य होगा जिन्हें एक समेकित कार्यक्रम में स्थापना के लिए उपयुक्त समझा गया मूल्यांकन दल के सदस्यों को यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता सेवा नियमों के अनुसार दिया जाएगा।
- (3) प्रत्येक राज्य की राजधानी तथा जिला मुख्यालय अथवा ऐसा कोई अन्य स्थान जहाँ समेकित स्कूल पद्धति में 50 अथवा इससे अधिक बच्चे नामांकित किए गये हो, एक मूल्यांकन केन्द्र होगा
- (4) शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट अपेक्षाकृत व्यापक रूप से बड़ी होनी चाहिए। एक विशेष बच्चा जो परीक्षण सम्बंधी परिस्थितियों के दौरान कर सकता है अथवा नहीं कर सकता उसके सम्बंध में पर्याप्त सूचना भेजी जानी चाहिए। रिपोर्ट में यह उल्लेख विशिष्ट रूप से किया जाना चाहिए कि क्या बच्चों को स्कूल में प्रत्यक्ष रूप से भेजा जा सकता है।

विकलांग बच्चों के लिए सुविधाएँ

(1) सम्बंधित राज्य/संघ शामिल क्षेत्र में अभिमावी दरों पर निम्नलिखित स्वरूप की सुविधाएँ एक विकलांग बच्चे को दी जाए। यदि अन्य किसी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार। संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन द्वारा ऐसे ही प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो निम्न लिखित दरों को अपनाना चाहिए—

- 400 रु प्रति वर्ष की पुस्तक तथा लेखन सामग्री भत्ता
- 500 रु प्रति वर्ष वर्दी भत्ता
- 50 रु प्रति माह की दर से परिवहन भत्ता
- कक्षा पाँच के बाद नेत्रहीन बच्चों के मामले में 50 रु प्रतिमाह का वाचक भत्ता
- गम्भीर रूप से उन विकलांगों के लिए जो शरीर के निचले हिस्से से विकलांग हैं को 75 रु प्रतिमाह का रक्षक भत्ता
- पाँच वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम 2000रु प्रति छात्र के आधार पर उपकरण की वास्तविक लागत।

(2) गम्भीर रूप से हड्डी विकलांग बच्चों के मामले में एक स्कूल 10 बच्चों के लिए एक परिचर की अनुमति देना अनिवार्य हो सकता है।

- (3) उसी संस्था में जहाँ विकलांग बच्चे पढ़ रहे हैं। व स्कूल छात्रावास में रहते हैं उन्हें भोजन तथा आवास जो भी सरकारी नियमों, योजनाओं के अंतर्गत अनुमत्य हो, दिए जाने चाहिए
- (4) स्कूल छात्रावास में रह रहे गम्भीर रूप से हड्डी विकलांग बच्चों को एक सहायक अथवा एक आया की जरूरत पड़ सकती है। छात्रावास के उस किसी भी कर्मचारी को 50 रु प्रतिमाह का विशेष वेतन अनुमत्य है जो अपने कार्यों के अतिरिक्त बच्चों की सहायता करने के इच्छुक हो।

विशेष शिक्षक सहायता

- (1) अपंग बच्चों की ओर विशेष ध्यान देने के लिए उन स्कूलों में विशेष शिक्षा शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे जहाँ ये योजना चल रही है।
- (2) अंध तथा कम सुनने वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षक सहायता अपेक्षित है।
- (3) तैयारी के पश्चात एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत यदि अधिक तथा उससे कम सुनने वाले बच्चे दाखिल किए जाते हैं। तो उनके लिए भी विशेष शिक्षक सहायता की आवश्यकता होगी।
- (4) लोकोमीटर अपंगता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षक सहायता की आवश्यकता नहीं होगी।
- (5) इसी प्रकार से मंद बुद्धि वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षक की आवश्यकता नहीं होगी।

विशेष शिक्षकों की नियुक्ति

- (1) इस योजना के अंतर्गत विशेष शिक्षा शिक्षकों के लिए शिक्षक छात्र अनुपात 1:8 है। इस अनुपात के अनुसार विशेष शिक्षक सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्कूलों में अपेक्षित संख्या विशेष शिक्षक नियुक्त किए जायेंगे।
- (2) **अर्हताएँ** — प्राइमरी शिक्षक — माध्यमिक शैक्षिक अर्हता (विशेषकर 10+2) सहित विशेष अपंगता वाले बच्चे की शिक्षा में एक वर्षीय पाठ्यक्रम।
माध्यमिक — विशेष अपंगता में विशेषज्ञता सहित एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा) सहित स्नातक।

- (3) **वेतनमान** — राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में उसी श्रेणी के शिक्षकों को भी वही वेतनमान दिए जायेंगे। विशेष प्रकार के कार्यों को ध्यान में रखते हुए, इन शिक्षकों को शहरी क्षेत्रों में 15000 प्रतिमाह तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 20000 प्रतिमाह का विशेष वेतन दिया जाएगा।

विशेष शिक्षकों का प्रशिक्षण

- विशेष शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अब सुविधाएं राष्ट्रीय अपंग संस्थान तथा विश्वविद्यालयों और चुनिन्दा शिक्षा कॉलेजों के विशेष शिक्षा विभागों में चलाए जा रहे क्षेत्रीय कॉलेजों तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में उपलब्ध हैं।
- योजना के अंतर्गत विशेष शिक्षकों के लिए पूर्णकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए विश्वविद्यालय आयोग के माध्यम से अनुदान दिया जाएगा।

संसाधन कक्ष—

- (1) अध्ययन सहायक सामग्री वाले संसाधन कक्ष समेकित शिक्षा की योजना को कार्यान्वित करने वाले स्कूलों के समूह को प्रदान किया जाएगा।
 - (2) संसाधन कक्ष विशेषकर स्कूल में विद्यमान कमरे में ही खोला जाएगा।
 - (3) नया कमरा केवल जहाँ राज्य सरकार की संतुष्टि का आवास उपलब्ध न हो ऐसी परिस्थिति में स्कूलों में संसाधन कक्ष के निर्माण के लिए अधिकतम 40,000 रु तक का अनुदान दिया जाएगा
- **वास्तुकला अवरोधों को दूर करना** वास्तुकला अवरोधों को दूर करने तथा विद्यमान वास्तुकला सुविधाओं में संशोधन करना आवश्यक होगा ताकि स्कूल के अंदर ही अपंग बच्चों की पहुँच को आसान बनाया जा सके। इस कार्य के लिए ऐसे स्कूलों को अनुदान दिया जाएगा जहाँ कम से कम 10 अपंग बच्चे दाखिल हों।

● मूल्यांकन तथा अनुश्रवण

- (1) राज्य सरकारें/संघ शासित प्रशासन चुनिन्दा क्षेत्रों/स्कूलों में कार्यक्रम अध्ययन की लागत को योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारी की प्रतिपूर्ति करेगा। केन्द्रीय सरकार योजना अवधि के अंत में राष्ट्रीय शैक्षिक अध्यापक प्रशिक्षण परिसर (रा.शै.अ.प्र.परि.) अथवा अन्य संस्थाओं के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन का संक्षिप्त मूल्यांकन करेगी।

- (2) रा.शै.अ.प्र.परि. की एक प्रति सहित प्रपत्र I-II में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग)को एक तिमाही प्रगति रिपोर्ट भी भेजेगा।

अभ्यास क्रिया

बालक में सीखने की समस्या को समझते हुए एक केस स्टडी तैयार कीजिए?

1.7 ईकाई सारांश

- सम्पूर्ण संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतया एक जैसे नहीं हो सकते कुछ न कुछ भिन्नता होती है यहाँ तक जुड़वा स्वभाव से भिन्न होते हैं।
- सीखने की गति को धीमी करने वाले शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य और वातावरणीय दशाएँ होती हैं।
- स्पष्ट रूप से व्यक्तियों में सामाजिक विभिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता जब बालक एक वर्ष का होता है तभी से दृष्टीगोचर होने लगती है।
- सांस्कृतिक विभिन्नता – छोटे छोटे उद्योगों के मालिक अपने बच्चों की शिक्षा के महत्व को न समझते हुए गम्भीर नहीं होते यही अरुचि बालक को शिक्षा के प्रति आकर्षण कम करती है।
- अधिगम निर्योग्यता को परिभाषित करने में जिन कारणों से समस्या आयी वे – मूल्यांकन की समस्या, संख्यात्मक मापदण्ड में विरोधाभासित प्रक्रिया समस्या उद्देश्यात्मक समस्या इन समस्याओं को ध्यान में रख अध्ययनकर्ता ने बताया – मानसिक योग्यता आंशिक होनी चाहिए
- मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में स्पष्ट अंतर होना चाहिए
- कोई शारीरिक पारिवारिक एवं वातावरणीय दशाएँ प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए।
- अधिगम सम्बंधी विकलांगता के दो प्रकार हैं (1) सामान्य (2) भयंकर
- इन बच्चों की पहचान के लक्षण होते हैं इन्हें ध्यान देना चाहिए।

- अधिगम निर्योग्यता का उपचार व्यावहारिक निर्देशन, संज्ञानात्मक व्यवहार परिमार्जन, कम्प्यूटर निर्देशन विधि द्वारा सम्भव है।
- विकलांग, बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की योजना में कई व्यवस्थाएँ की गई हैं।
- क्रियान्वयन एजेन्सियों जैसे भी सम्भव हो स्वैच्छिक संगठनों की सहायता ले सकती है।
- विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएँ हैं। जिसमें पूर्ण स्कूल प्रशिक्षण व माता पिता को परामर्श देना शामिल है।
- एक प्रशासनिक सेल बनाई गई। विकलांग बच्चों की मूल्यांकन करने के लिए तीन सदस्यों से युक्त एक दल का गठन किया जाएगा जिसमें एक डाक्टर, एक मनोवैज्ञानिक व विशेष शिक्षक होगा।
- बच्चों की ओर विशेष ध्यान देने के लिए उन स्कूलों में विशेष शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे।
- अध्ययन सहायक सामग्री वाले संसाधन कक्ष समेकित शिक्षा की योजना को कार्यान्वित करने वाले स्कूलों के समूह को प्रदान किया जाएगा।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अध्यापक शिक्षण परिसर तथा अन्य संस्थाओं के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन का संक्षिप्त मूल्यांकन करेगी।

1.8 अपनी प्रगति की जाँच कीजिए

I वस्तुनिष्ठ प्रश्न

(1) आधिगम समस्याएँ उत्पन्न करने में सहायक तत्व हैं—

1. केवल शैक्षिक दशाएँ
2. केवल वातावरणीय दशाएँ
3. शैक्षिक एवं वातावरणीय परिस्थितियाँ
4. गैर शैक्षिक दशाएँ

(2) अधिगम निर्योग्य बालक वह है जिसकी —

1. बुद्धिलब्धि न्यून है।
2. बुद्धिलब्धि अधिक है।

3. बुद्धिलब्धि औसतन है।

4. बुद्धिलब्धि सर्वोच्च है।

(3) अधिगम निर्योग्य बच्चों में पाई जाती है—

1. निम्न मनोवैज्ञानिक दशाएँ

2. उच्च मनोवैज्ञानिक दशाएँ

3. सामान्य मनोवैज्ञानिक दशाएँ

4. विशिष्ट मनोवैज्ञानिक दशाएँ

II अधिगम निर्योग्यता के उपचार हेतु किन विधियों का उपयोग किया जाता है?

चर्चा/ स्पष्टीकरण के बिन्दू

III इस ईकाई के अध्ययन के बाद आप कुछ बिन्दुओं पर आगे चर्चा चाहेंगे तथा कुछ अन्य पर स्पष्टीकरण चाहेंगे। इनको नीचे दिये गए स्थान पर लिखिये।

IV समेकित शिक्षा के कार्यक्रमों को अग्रसर करने में अध्यापक की भूमिका पर प्रकाश डालिए।

V विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की योजना (संशोधन 1987) के मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डालिए।

1.9 संदर्भ सूची

- भटनागर ए.बी. (2006) शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मनोविज्ञान, आर. लाल बुक डिपो मेरठ ।
- शर्मा रामनाथ, चन्द्र एस. सोती (1989-90) शिक्षा मनोविज्ञान, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आगरा-3
- पाठक पी. डी. शिक्षा मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-2
- भार्गव महेश (2003) विशिष्ट बालक, शिक्षा एवं पुर्नवास , एच.पी.भार्गव बुक हाउस ।
- सिंह भोपाल (2005-06) अधिगमकर्ता का विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा-2
- अग्रवाल सुधा (2006) शिक्षा मनोविज्ञान, सोमनाथ ढल, संजय प्रकाशन, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली- 110002
- सिंह राम पाल, सिंह एस. डी. शर्मा देव दत्त (2005) नवीन व्यवहारिक मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा-2
- शर्मा आर.ए. (2005) छात्र का विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, सूर्या पब्लिकेशन मेरठ 250001
- सक्सेना आर. एन. , मिश्रा बी. के, मोहन्ती आर. के. अध्यापक शिक्षा, आर. लाल बुक डिपो मेरठ ।
- शर्मा आर. ए. (2000) अधिगम एवं विकास के मनोवैज्ञानिक आधार, सूर्या पब्लिकेशन मेरठ 250001
- स्कीनर सी. ई. (1972) शिक्षा मनोविज्ञान, ब्रह्मदत्त दीक्षित उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, लखनऊ ।